संख्या-183/2024/3053/22-2-2023-17(959)/2023

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 18 अक्टूबर 2024

विषय:- केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ऋषिपाल पुत्र श्री दलीप सिंह, निवासी जनपद-बागपत की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-23888/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-06-07-2023) दिनांक-24-07-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ऋषिपाल पुत्र श्री दलीप सिंह, शबगा, थाना-छपरौली, जनपद-बागपत का निवासी है। अवैध सम्बन्धों की रंजिश को लेकर दिनांक 26-10-2005 को बन्दी ने अपने 01 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर तलवार व चाकू से मारकर 06 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-14/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 449 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय सं0-01 बागपत के आदेश दिनांक 04-03-2008 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 10-08-2010 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत करते हुये आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 16.03.2023 तक 17 वर्ष, 04 माह, 18 दिन अपरिहार तथा 21 वर्ष, 01 माह, 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बागपत मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन आफ इण्डिया, 2000 क्रि0एल0जे0 1471 पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गयी है। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी को रिहा करने पर पुन: किसी घटना कारित होने की पूर्ण सम्भावना होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहा हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये समय पूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मिजस्ट्रेट द्वारा पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्राबेशन अधिकारी की आख्या से सहमति व्यक्त करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बार्ड का अभिमत है कि अवैध सम्बन्धों की रंजिश को लेकर दिनांक 26-10-2005 को बन्दी ने अपने 01 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर तलवार व चाकू से मारकर 06 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्राबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी ऋषिपाल पुत्र श्री दलीप सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ऋषिपाल (बन्दी संख्या-13916) पुत्र श्री दलीप सिंह, निवासी जनपद-बागपत को यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः यथोपरि।</u>

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

<u>संख्या-183/2024/3053(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बागपत।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5-नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) सं0-11432/2024 ऋषिपाल बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-04-2024 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-183/2024/3053/22-2-2023-17(959)/2023

दिनांक 18 अक्टूबर 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ऋषिपाल पुत्र श्री दलीप सिंह, शबगा, थाना-छपरौली, जनपद-बागपत का निवासी है। अवैध सम्बन्धों की रंजिश को लेकर दिनांक 26-10-2005 को बन्दी ने अपने 01 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर तलवार व चाकू से मारकर 06 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-14/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 449 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय सं0-01 बागपत के आदेश दिनांक 04-03-2008 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 10-08-2010 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत करते हुये आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 16.03.2023 तक 17 वर्ष, 04 माह, 18 दिन अपरिहार तथा 21 वर्ष, 01 माह, 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बागपत मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन आफ इण्डिया, 2000 क्रि0एल0जे0 1471 पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गयी है। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी को रिहा करने पर पुनः किसी घटना कारित होने की पूर्ण सम्भावना होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहा हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये समय पूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मिजस्ट्रेट द्वारा पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्राबेशन अधिकारी की आख्या से सहमति व्यक्त करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बार्ड का अभिमत है कि अवैध सम्बन्धों की रंजिश को लेकर दिनांक 26-10-2005 को बन्दी ने अपने 01 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर तलवार व चाकू से मारकर 06 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्राबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी ऋषिपाल पुत्र श्री दलीप सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।